10 लाख का ट्रांजेक्शन करना हुआ आसान

1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे पैन नियम

कैश, होटल बिल, वाहन, इंश्योरेंस, क्रिप्टो पर राहत

नई दिल्ली, 10 फरवरी. इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. 'नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025' के ड्राफ्ट नियमों में छोटे ट्रांजेक्शन पर कागजी औपचारिकताएं कम करने और बड़े लेनदेन पर निगरानी मजबूत करने की कोशिश दिखती है.

प्रस्तावों के मुताबिक अब साल भर में 10 लाख तक के कैश ट्रांजेक्शन पर पैन की अनिवार्यता नहीं होगी. होटल बिल, इवेंट पेमेंट और कुछ वाहनों की खरीद में भी पैन लिमिट बढ़ाई जा रही है.

दूसरी ओर, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ 'अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप' और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर जानकारी साझा करने जैसे प्रावधानों से पारदर्शिता बढ़ेगी. सीबीडीटी ने इन नियमों पर सुझाव मांगे हैं और इन्हें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है.

> होटल बिल भुगतान की पैन सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव है. यही सीमा कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट पेमेंट पर भी लागू होगी. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री या गिफ्ट के मामलों में पैन अनिवार्यता की सीमा रु.10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का सुझाव है. वाहन खरीद में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. 5 लाख से महंगी मोटरसाइकिल या किसी भी मोटर व्हीकल की खरीद पर पैन देना होगा. मौजूदा नियमों में दोपहिया के लिए पैन शर्त नहीं थी, जबकि चार पहिया के लिए हर कीमत पर अनिवार्य था. इंश्योरेंस कंपनियों के साथ 'अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप' शुरू करने पर पैन जरूरी होगा, जिससे ग्राहक का स्थायी प्रोफाइल बनेगा. वहीं, क्रिप्टो एक्सचेंज को इनकम टैक्स विभाग के साथ ट्रांजेक्शन जानकारी साझा करनी होगी. सीबीडिटी मार्च के पहले सप्ताह तक सुझावों के आधार पर नियम फाइनल करेगा. नए नियम 1 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू किए जाने की योजना है.

बदलावों का मकसद आम लोगों, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र को राहत देना है, जबकि बड़े और संदिग्ध लेनदेन पर सख्ती बनाए रखना है. ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में अब एक वित्त वर्ष में रु.10 लाख या उससे अधिक कैश जमा/निकासी पर ही पैन देना अनिवार्य होगा. अभी यह सीमा एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा पर लागू होती है. इससे छोटे व्यापारियों और दैनिक नकद लेनदेन करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.

तेजी बाद टूटा सोना-चांदी बाजार

नई दिल्ली, 10 फरवरी. दो कारोबारी सत्रों की तेज बढ़त के बाद मंगलवार को सर्राफा बाजार में मुनाफावसूली हावी दिखी. सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार की हालिया गर्मी ठंडी पड़ती नजर आई.

दोपहर तक सोना करीब रु. 1,300 सस्ता होकर 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया, जबकि चांदी रु. 5,800 टूटकर 2.61 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी रोजगार व महंगाई आंकड़ों की प्रतीक्षा ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना-चांदी में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखा. इससे पहले सोमवार को चांदी 2.72 लाख और सोना 1.58 लाख के स्तर तक पहुंच गए थे. तेजी के बाद आई यह गिरावट बाजार की अस्थिरता को दर्शाती है. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सोना रु.960 सस्ता होकर 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
(A Govt. of M.P. Undertaking)
Office of The Dy. General Manager (O&M) Division-Itarsi, E-mail : mpczdgmitarsi@gmail.com
प्रकाश एवं विकास
No:-/DGM/O&M/Veh/3505-06 — Itarsi, Dated : 10.02.2026

OFFER FOR HIRING VEHICLE

MPMKVVCL hereby invited Offer/Rate for hiring the below mentioned type of vehicle in the following locations :-

Name of Unit/ Office	Particulars	EMD (Rs.)	Due Date of Submission of Offer	Opening Date & Time
Manager Town Zone Itarsi	Type G3, Light Commercial Vehicle (Non-AC) Truck (3 to 5 Metric Ton) (As per Vehicle Policy)	3000/-	17.02.2026 Up to 03:00 pm	18.02.2026 at 3:30 pm

Other details, terms and conditions are available on company **website : https://portal.mpcz.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/124410/2026 — **DGM (O&M)**

विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई शुरू

नई दिल्ली, 10 फरवरी. सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विशिष्ट श्रेणी के इस्पात के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 1.2 की सोमवार को शुरुआत की. योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले उन विशिष्ट श्रेणी के इस्पात के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिनके लिए इस समय हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं.

इस्पात एवं भारी उद्यम मंत्री एच.डी. कुमारस्वामि की मौजूदगी में यहां विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की गयी. इस मौके पर कई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किये गये. श्री कुमारस्वामि ने कहा कि देश में विशिष्ट श्रेणी के इस्पात के निर्माण के लिए मजबूत और वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारितंत्र तैयार करने की दिशा में पीएलआई 1.2 एक महत्वपूर्ण कदम है. यह योजना आधुनिक और रणनीतिक इस्पात उत्पादों के लिए घरेलू क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा देती है. मंत्रालय ने बताया कि पीएलआई 1.2 के तहत आज 55 कंपनियों के साथ 85 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये. कंपनियों ने 11,887 करोड़ रुपये रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी. इन परियोजनाओं से वित्त वर्ष 2030-31 तक विशिष्ट श्रेणी के 87 लाख टन इस्पात निर्माण की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है.

रुपया एक पैसे कमजोर

मुंबई, 10 फरवरी. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को एक पैसे कमजोर हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.66 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा लगातार दूसरे दिन कमजोर हुई है. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 31 पैसे टूटकर 90.65 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. रुपये में आज काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. यह एक पैसे फिसल कर 90.66 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और बीच कारोबार में ऊपर 90.37 रुपये तथा नीचे 90.77 रुपये प्रति डॉलर तक गया.

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री सुमित कुमार नोरिया श्रीमती रुचि नोरिया मे. नोरिया आर्ट इन्टरप्राईजेज (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10529983)	फ्लैट संख्या 303, पहली मंजिल संख्या 0, उत्तरी विंग, मध्य प्रदेश आवास बोर्ड, गौरव नगर कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः कारपेट एरिया क्षेत्रफलः 503	रू. 1360063/- तेरह लाख साठ हजार तिरेसठ मात्र	14-10-2025	06/02/2026

अधिक जानकारी के लिए, शाखा कार्यालयः 183, प्रथम मंजिल, सोनी भवन, एमपी नगर, जोन II, भोपाल या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः भोपाल
दिनांकः 11.02.2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
CIN L65110TN2014PLC097792,
पंजीकृत कार्यालयः - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031. टेलीफोनः +91 44 4564 4000 फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जे का नोटिस
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है।
ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	खाता सह-उधारकर्ता/ओं का नंबर और गारंटर नाम	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस		कब्जा लेने की तिथि और प्रकार
			दिनांक	बकाया राशि (रु.)	
45718512	1. नारायण सिंह, 2. तेजू बाई,	मकान संख्या 105, क्षेत्रफल 1265 वर्ग फुट (ग्राम पंचायत भाना खेड़ी, सरकारी पट्टा दि.13.04.2016), सर्वे संख्या 166/1, पीएच नं. 24, ग्राम भाना खेड़ी, तहसील जवार, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश-466118 में स्थित, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः स्वयं का बाड़ा, पश्चिमः जितेंद्र सिंह का मकान, उत्तरः सड़क और नाला, दक्षिणः लखन सिंह का मकान	20.01.2024	रू. 2,68,225.41/-	06.02.2026 भौतिक कब्जा
112314578	1. यशवंत सिंह सेंधव, 2. निकिता बाई, 3. लखन सिंह	दिनांक 28.10.2024 को मकान संख्या 18, कुल भूखंड क्षेत्रफल 1026 वर्ग फुट, सर्वेक्षण संख्या 39, पीएच नं. 31, वार्ड संख्या 02, ग्रामः गुंजारी, तहसीलः जवार, जिलाः सीहोर, मध्य प्रदेश-466118 में स्थित, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः जयपाल सिंह का मकान, पश्चिमः स्वयं की भूमि, उत्तरः गजराज सिंह का मकान, दक्षिणः स्थानीय सड़क	28.10.2024	रू. 6,23,774.82/-	06.02.2026 भौतिक कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तारीख से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

दिनांकः 06.02.2026
स्थानः मध्य प्रदेश
अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

ब्रोकिंग कंपनियां नीतियों में बदलावों से बचने अपनाएं विविधीकरण : क्रिसिल

मुंबई, 10 फरवरी. बाजार अध्ययन एवं साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने सरकारी नीतियों में बदलाव से बचने के लिए ब्रोकिंग कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधिकरण की सलाह दी है.

एजेंसी की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि की गयी है.

इससे ब्रोकिंग कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इससे पहले, पिछली कुछ तिमाहियों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कुछ नियामक बदलाव भी किये थे जिनका उद्देश्य अनुमान आधारित गतिविधियों में कमी लाना, खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है. क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक मालविका भोटिका ने 25 ब्रोकिंग कंपनियों के प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर कहा कि जिन कंपनियों ने अपने राजस्व के स्रोतों में विविधता रखी है, वे इन उतार-चढावों से ज्यादा अच्छे से निपटने में सक्षम रहे.

कार्यालय नगर परिषद बड़कही
तह0परासिया जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) वार्ड क्रं. 01 पुलिस चौकी के पास, नगर परिषद, बड़कुड़ी
Website: www.nagarpalikabadkuhi.com, Email id:cmobadkuhi@mpurban.gov.in, दूरभाष- 07161-263475

क्रं. 3440/PWD/NP/2026 — **//निविदा सूचना//** — बड़कुही, दिनांक- 09-02-2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ईएमडी	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
2026_UAD_481261_1 दि.10-02-2026	वार्ड क्रं. 08 में सांसद निधि से रंगमंच निर्माण कार्य	02 माह 1,15, 346/-	1, 000/- 2, 400/-	26-02-2026
2025_UAD_450124_1 दि.10-02-2026	वार्ड क्रं. 07 में दुर्गा स्टेज के पास सांसद निधि से रंगमंच निर्माण कार्य	02 माह 1,13, 087/-	1, 000/- 2, 300/-	26-02-2026

शर्तः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://www.mptenders.gov.in की वेबसाईट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

CHIEF MUNICIPAL OFFICER,
NAGAR PARISHAD BADKUHI

बिजली की मांग जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची- क्रिसिल

मुंबई, 10 फरवरी. उत्तरी और पूर्वी हिस्से में शीतलहर के कारण देश में बिजली की मांग जनवरी में 4.5 प्रतिशत बढ़कर करीब 143 अरब यूनिट पर पहुंच गयी जो कम से कम 2010 के बाद का रिकॉर्ड है. बाजार अध्ययन एवं साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी के पूर्वार्ध में उत्तरी और पूर्वी भारत में भयंकर शीतलहर रही जिससे घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की मांग में वृद्धि देखी गयी. पिछले साल जनवरी में बिजली की मांग 136 अरब यूनिट रही थी. क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार 08 जनवरी से 14 जनवरी के बीच पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में औसत न्यूनतम तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

चावल, चीनी, खाद्य तेलों के दाम बढ़े ; दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 10 फरवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी और खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी रही जबकि गेहूं के भाव गत दिवस के स्तर पर पड़े रहे. दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत दो रुपये बढ़कर 3,852 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 2,849 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रहा. आटा चार रुपये महंगा हुआ. दाल-दलहनों में मिलाजुला रुख रहा. चना दाल औसतन 15 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई. तुअर दाल की औसत कीमत 42 रुपये और उड़द दाल की 20 रुपये बढ़ गयी.

एचईजी लिमिटेड
PROUD TO BE INDIAN PRIVILEGED TO BE GLOBAL

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ-माह हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण
(₹ करोड़ में, प्रति शेयर आय को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025	31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025
		को समाप्त तिमाही			को समाप्त नौ-माह		को समाप्त वर्ष	को समाप्त तिमाही			को समाप्त नौ-माह		को समाप्त वर्ष
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	संचालनों से कुल आय	655.66	696.85	477.07	1,965.29	1,616.13	2,152.71	656.33	699.22	478.38	1,972.48	1,617.44	2159.69
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों तथा सहयोगियों के लाभ/(हानि) के भाग के पूर्व)	180.10	162.89	133.68	435.41	219.42	147.82	181.01	167.97	131.50	460.10	216.94	142.89
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों तथा सहयोगियों के लाभ/(हानि) के भाग के पश्चात्)	180.10	162.89	133.68	435.41	219.42	147.82	246.15	175.23	118.57	548.84	244.97	160.37
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों तथा सहयोगियों के लाभ/(हानि) के भाग के पश्चात्)	141.25	130.86	98.32	343.91	162.99	101.31	206.97	143.33	83.40	455.13	188.73	115.06
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [(अवधि हेतु लाभ/ (हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के)]	141.42	129.83	98.32	343.05	163.66	101.28	207.29	142.19	83.38	454.25	189.33	114.67
6.	समता अंश पूँजी	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60	38.60
7.	संचित (पुनः मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-	4,120.93	-	-	-	-	-	4,415.17
8.	प्रति अंश आय (₹2/- प्रत्येक) (जारी एवं डिस्कंटीन्यूड प्रचालनों हेतु) (तिमाही/नौ-माह हेतु वार्षिकृत नहीं)												
	मूलभूतः (₹ में)	7.32	6.78	5.09	17.82	8.45	5.25	10.72	7.43	4.32	23.58	9.78	5.96
	तरलः (₹ में)	7.32	6.78	5.09	17.82	8.45	5.25	10.72	7.43	4.32	23.58	9.78	5.96

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com/www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.hegltd.com) पर उपलब्ध हैं।
2. समेकित वित्तीय परिणामों में (i) एचईजी लिमिटेड ("होल्डिंग कम्पनी") (ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी – टीएसीसी लिमिटेड, (iii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी – एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड (iv) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी– भीलवाड़ा इन्फोटेक्नोलॉजी लिमिटेड (v) एसोसिएट – भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड के लाभ का भाग तथा कुल व्यापक आय (vi) एसोसिएट – टेक्सनीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी – भीलवाड़ा इन्फोटेक्नोलॉजी लिमिटेड) के लाभ का भाग तथा कुल व्यापक आय शामिल है।

स्थान : मंडीदीप (म.प्र.),
दिनांक : 10 फरवरी, 2026

कृते **एचईजी लिमिटेड**
हस्ता/-
रवि झुनझुनवाला
अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआइएनः 00060972

CIN: L23109MP1972PLC008290
पंजीकृत कार्यालयः मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन-462046,(म.प्र.), फोनः 07480-233524, 233525; फैक्सः 07480-233522
कॉर्पोरेट कार्यालयः भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301, (उ.प्र.), फोनः 0120-4390300 (ईपीएबीएक्स); फैक्सः 0120-4277841
ई-मेलः heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाईटः www.hegltd.com